



झारखण्ड सरकार झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे.सी.ई.सी.ई.बी./90/18 -83

राँची/दिनांक: 21/08/2019

बी.एससी. नर्सिंग (बेसिक/पोस्ट-बेसिक) प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा - 2019 के परीक्षाफल के आधार पर प्रथम् साक्षात्कार (First Round of Counselling) के आयोजन से संबंधित विस्तृत सूचना

दिनांक-28.07.2019 को आयोजित बी.एससी. नर्सिंग (बेसिक/पोस्ट-बेसिक) प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा - 2019 के परीक्षाफल में सम्मिलित धनात्मक (Positive) अंक धारक सभी अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षाओं के परीक्षाफल के आधार पर दिनांक-28.08.2019 को प्रथम् साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा।

2. उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र भरने से संबंधित सूचना के विज्ञापन (संख्या-जे.सी.ई.सी.ई.बी./90/18 - 46 दिनांक-01.07.2019) की कंडिका- 7.i. के आलोक में बेसिक बी0एससी0 नर्सिंग तथा 7.ii. के आलोक में पोस्ट-बेसिक बी0एससी0 नर्सिंग के लिये अलग-अलग मेधा-सूचियाँ तैयार की गई है। बी0एससी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम में अभ्यर्थियों को उनके मेधा-सह- ईच्छा के आधार पर सीटों का आवंटन किया जायेगा। बी0एससी0 नर्सिंग(पोस्ट-बेसिक) पाठ्यक्रम में चयन का प्राथमिकता कम निम्न प्रकार है :-

(क) "ए" ग्रेड नर्स के रूप में झारखण्ड सरकार के अधीन सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मी,

(ख) अनुबंध पर झारखण्ड सरकार के अधीन कार्यरत "ए" ग्रेड नर्स (अनुबंध पर नियुक्त परिचारिकाओं को सरकारी परिचारिकाओं के अनुरूप सुविधा देय नहीं होगा),

(ग) गैर-सरकारी संस्थान में "ए" ग्रेड नर्स।

3. साक्षात्कार, Computerized Multi Table Parallel Counselling के माध्यम से आयोजित की जाएगी। संस्थानवार/पाठ्यक्रमवार/कोटिवार/कोटावार अद्यतन रिक्त सीटों की जानकारी पर्षद के अधिकृत वेबसाईट के Homepage पर "Live (Current) seat Matrix" Link पर Click कर प्राप्त कर सकते हैं। अतः संबंधित अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे साक्षात्कार में भाग लेने के पूर्व उपलब्ध सीटों की अद्यतन स्थिति से अवगत होकर ही साक्षात्कार में भाग लें।

4. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, राँची के पत्रांक-10/पारा मेडि0-07-12/2012-194 (10) दिनांक 08.08.2019 द्वारा परिचारिका महाविद्यालय, रिम्स, राँची के शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में बेसिक बी0एससी0 नर्सिंग (बेसिक) तथा बी0एससी0 नर्सिंग (पोस्ट-बेसिक) के लिये उपलब्ध कराये गये कमशः 50 तथा 30 सीटों पर नामांकन हेतु अनुशांसा अभ्यर्थियों के मेधा-सह-ईच्छानुसार साक्षात्कार में किया जायेगा।

5- साक्षात्कार हेतु कंडिका-11 के अनुसार बुलाये गये अभ्यर्थियों को, साक्षात्कार के समय, निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की मूल प्रति (Original copy) तथा उसकी एक-एक छायाप्रति (Xerox) जो कि स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) हो, साथ में लाना अनिवार्य है। वांछित प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की सिर्फ छायाप्रति (Xerox) या फैंक्स कॉपी (Fax Copy) उपलब्ध कराने पर, उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी और ना ही इस आधार पर संस्थान/पाठ्यक्रम/सीट का आबंटन किया जायेगा।

(क) दसवीं /माध्यमिक /समकक्ष परीक्षा का प्रवेश-पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र, (ख) आई0एससी0 या 10+2 या 1986 के पूर्व 10+1 परीक्षा का प्रवेश-पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता/औपबंधिक प्रमाण-पत्र (ग) बी.एससी. नर्सिंग (बेसिक/पोस्ट-बेसिक) प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा - 2019 का प्रवेश-पत्र (Admit Card) [यदि प्रवेश-पत्र (Admit Card) गुम हो गया है तो सनहा/प्रथम् सूचना प्रतिवेदन (F.I.R.) की प्रति], (घ) जी0एन0एम0 पाठ्यक्रम का उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र (पोस्ट-बेसिक पाठ्यक्रम के लिये) (ङ.) राज्य परिचारिका परिषद् द्वारा जारी निबंधन प्रमाण-पत्र (पोस्ट-बेसिक पाठ्यक्रम के लिये) (च) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के पत्रांक-14/विविध-15-22/2019 का0-5752 दिनांक-19.07.2019 के द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में अंचल अधिकारी (Circle Office) के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र सभी कार्यों/प्रयोजनों के लिये भी मान्य होंगे। झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil)} या उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक-7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का0 - 3198, दिनांक 18.04.2016 के आलोक में निर्गत पत्र, पत्र सं0-14/स्थानीयता नीति-14-03/2016 का0-4650 दिनांक 02.06.2016 के अंतर्गत विहित प्रपत्र में जारी पूर्व में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र भी मान्य होगा (छ) झारखण्ड राज्य के अंचल अधिकारी (Circle Officer) या अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil)} या उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-14/जा0नि0-03-13/2015/का0- 1754 दिनांक-25.02.2019 के अंतर्गत विहित प्रपत्र में जारी जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में)। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 2) के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के पत्रांक-14/जा0नि0-03-13/2015/का0-1754 दिनांक-25.02.2019 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 2) के अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा। (ज) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अभ्यर्थियों को झारखण्ड राज्य के उपायुक्त - सह-जिला दण्डाधिकारी / अपर जिला दण्डाधिकारी / अपर उपायुक्त / अपर समाहर्ता / अनुमण्डल दण्डाधिकारी / सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी / अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आय और सम्पति प्रमाण-पत्र (Income & Assessts Certificate) प्रस्तुत करना है एवं (झ) दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के संकल्प-2249 दिनांक 03.04.



2018 के विहित प्रपत्र में चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा निर्गत तथा चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निःशक्तता प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। पुराने एवं अन्य प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।

यदि किसी अभ्यर्थी के पास उपरोक्त वर्णित स्थानीय निवासी/जाति/आय एवं सम्पति प्रमाण-पत्र, सक्षम स्तर के पदाधिकारी द्वारा वांछित अद्यतन प्रपत्र में निर्गत नहीं है तो अभ्यर्थियों के पास उपलब्ध प्रमाण-पत्र/पत्रों तथा नये विहित प्रपत्र में ऑनलाईन स्थानीय निवासी/जाति/आय एवं सम्पति प्रमाण-पत्र को बनवाने के लिये आवेदन समर्पित कर चुके हैं तथा साक्षात्कार के समय संबंधित प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें भी संस्थान/व्यवसाय/सीट का औपबंधिक आवंटन किया जायेगा।

6- साक्षात्कार के समय आधार कार्ड की मूल प्रति साथ में लाना अनिवार्य (Essential) है।

7. साक्षात्कार शुल्क :- सामान्य/पिछड़ी जाति - I/पिछड़ी जाति - II कोटि के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए ₹ 400/- तथा अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि/सभी कोटि के महिला अभ्यर्थियों को ₹ 250/- का साक्षात्कार शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा।

साक्षात्कार शुल्क जमा करने का तरीका:-

क) बैंक चालान (Bank Challan) के माध्यम से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में या अन्य किसी बैंक से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा किया जा सकेगा। बैंक चालान (Bank Challan) की प्रति अधिकृत वेबसाइट पर Downloads कॉलम में उपलब्ध है जिसमें खाता सं० एवं अन्य जानकारी उपलब्ध है।

या

ख) बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो "Controller of Examination, J.C.E.C.E.Board" के माध्यम से निर्गत हो तथा Ranchi में भुगतये हो।

नोट(क) :- साक्षात्कार शुल्क जमा करना अनिवार्य है अन्यथा उन्हें साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जायेगा।

8. आबंटित संस्थान में नामांकन लेने की अंतिम तिथि अभ्यर्थियों के औपबंधिक सीट आबंटन पत्र में अंकित रहेगा।

9. साक्षात्कार स्थल :- झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद कार्यालय परिसर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखा टोली, नामकुम-तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची।

10. दिनांक-28.08.2019 के पूर्वाहन में साक्षात्कार, कोटिवार मेधा सूचियों (Category-wise Merit Lists) तथा अपराहन में सामान्य मेधा-सूची के अनुसार आयोजित की जा रही है। आरक्षित कोटि/कोटा यथा EWS/SC/ST/BC-I/BC-II/ PH/Primitive Tribal Group, के अभ्यर्थियों को यह सुविधा रहेगी कि वे निर्धारित

साक्षात्कार के दिन अनारक्षित कोटि के लिए आरक्षित संस्थानों/पाठ्यक्रमों/सीटों के साथ-साथ अपने आरक्षित कोटि/कोटा के लिए आरक्षित संस्थानों/ पाठ्यक्रमों/सीटों का भी चयन कर सकते हैं। अतः वे साक्षात्कार के दिन ही अपने आरक्षण के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र अवश्य लावें।

11. बी.एससी. नर्सिंग (बेसिक/पोस्ट-बेसिक) प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा - 2019 के परीक्षाफल के आधार पर परिचारिका महाविद्यालय, रिम्स, राँची के बी.एससी. नर्सिंग बेसिक तथा पोस्ट-बेसिक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की पात्रता तथा पहचान, प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के सत्यापन/जाँच एवं सीट आबंटन के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम (तिथि एवं समय) मेधाक्रमानुसार नीचे दिया जा रहा है। किसी कोटि/कोटा में जिस मेधाक्रम से सीटें भर जायेंगी, उस मेधाक्रम के बाद उस कोटि/कोटा के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।

बी0एससी0 नर्सिंग (बेसिक) पाठ्यक्रम के लिए प्रथम साक्षात्कार का संचालन निम्न कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा :-

Sl. No.	Category/Quota	CML Rank Range		CAT Rank Range		PH Rank Range		Counselling Date & Time
		From	To	From	To	From	To	
1.	CML Rank	1	50	-	-	-	-	28.08.2019/ 10:00 AM
2.	EWS CAT Rank	-	-	01	08	-	-	28.08.2019/ 10:00 AM
3.	SC CAT Rank	-	-	01	13	-	-	28.08.2019/ 10:00 AM
4.	ST CAT Rank	-	-	01	30	-	-	28.08.2019/ 10:00 AM
5.	BC - I CAT Rank	-	-	01	22	-	-	28.08.2019/ 10:00 AM
6.	BC - II CAT Rank	-	-	01	14	-	-	28.08.2019/ 10:00 AM
7.	PH Rank	-	-	-	-	1	4	28.08.2019/ 10:00 AM

नोट:- सामान्य कोटि में बुलाये गये CML Rank 1 से 50 तक में अनुसूचित जाति कोटि के 03, अनुसूचित जन-जाति कोटि के 04, पिछड़ी जाति-I कोटि के 14 तथा पिछड़ी जाति-II कोटि के 08 तथा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग कोटि में 01 अभ्यर्थी शामिल हैं।

बी.एससी. नर्सिंग (पोस्ट-बेसिक) पाठ्यक्रम के लिए प्रथम साक्षात्कार का संचालन निम्न कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा :-

Sl. No.	Category/Quota	CML Rank Range		Counselling Date & Time
		From	To	
1.	CML Rank	1	273	28.08.2019/ 01:00 PM

12. प्रत्येक कोटि/कोटा में उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया है। अतः साक्षात्कार हेतु बुलाये गये सभी अभ्यर्थियों को संस्थान/पाठ्यक्रम/सीट आबंटन की गारंटी नहीं है।

13. साक्षात्कार के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। आवंटित संस्थान में नामांकन के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

14. जिन अभ्यर्थियों के मेधाक्रम इस विज्ञापन की कंडिका-11 में अंकित हैं, उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अलग से साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा जा रहा है। बल्कि इस विज्ञापित के माध्यम से साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाते हैं कि वे इस सूचना के आधार पर ही निर्धारित तिथि एवं Counselling Time पर,



साक्षात्कार में, निश्चित रूप से उपस्थित हों अन्यथा उन्हें अनुपस्थित मान लिया जाएगा। इसके लिए पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा।

15. साक्षात्कार के दौरान यदि अभ्यर्थी अपने मेधा क्रमानुसार उपस्थित होते हैं और सभी वांछित प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं अथवा अपने मेधा क्रमानुसार निर्धारित तिथि/समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तथा चालू साक्षात्कार के दौरान किसी साक्षात्कार दिवस में सभी वांछित प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थित होते हैं तो वैसी स्थिति में उस दिन/समय पर उपलब्ध संस्थानों/पाठ्यक्रमों/सीटों के आलोक में ही उनको सीट के विकल्प का चयन करना होगा।

16. अभ्यर्थी द्वारा मेधा-सह-ईच्छानुसार चालू साक्षात्कार के समय संस्थान/ पाठ्यक्रम /सीट का आबंटन करा लेने पर पुनः चालू साक्षात्कार में दोबारा भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

17. किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

18. साक्षात्कार से संबंधित जानकारी हेतु अधिकृत वेबसाईट और दूरभाष सं. 9264473891/9264473893 पर सम्पर्क किया जा सकता है।



(दिलीप कुमार झा, भा0प्र0से0)
परीक्षा नियंत्रक

ज्ञापांक : जे.सी.ई.सी.ई.बी./90/18 - 575

राँची/दिनांक: 21/08/2019

प्रतिलिपि:-

परीक्षा शाखा को पर्षद के अधिकृत वेबसाईट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> के Homepage पर Counselling कॉलम में भारित (Upload) करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



परीक्षा नियंत्रक